

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर

दूरभाष व फ़ैक्स : 01572-249183

e-mail:- mesikar@dmg-raj.org

क्रमांक: खअ/सीकर/प्र/खप-22/1966/

दिनांक

पूरक संविदा का ज्ञापन

चूंकि मैसर्स मोदी मिनरल ग्राइण्डिंग मिल्स प्रा० लि०, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) के पक्ष में खनन पट्टा वास्ते चायना क्ले क्षेत्र 37.7632 हैक्टर निकट ग्राम टटोरी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में शासन के आदेश संख्या एफ.3(1)(25) Ind/B/67 दिनांक 10.4.1967 से संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 19.6.1968 को होने से यह खनन पट्टा दिनांक 19.6.1968 से 20 वर्ष के लिए प्रभावशील हुआ। बाद में शासन के आदेश संख्या: एफ.3(1) (25) खनिज/61 दिनांक 5.10.1970 से उक्त खनन पट्टा का हस्तान्तरण मैसर्स श्री मोदी लेवीगेटेंड काआलीन प्रा० लि०, नीमकाथाना जिला सीकर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 3.11.1973 को एवं पंजीयन दिनांक 31.5.1974 को हुआ। तत्पश्चात् शासन के आदेश दिनांक 3.12.1975 से उक्त खनन पट्टे का आंशिक अध्यर्पण क्षेत्र 5.39 हैक्टर का दिनांक 8.5.1975 से स्वीकृत किया गया और इसका पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 30.11.1976 को एवं पंजीयन दिनांक 10.5.1977 को हुआ है। वर्तमान में क्षेत्र 32.37 हैक्टर प्रभावशील हैं। उक्त ग्राम टटोरी (टटोरा) तहसील नीमकाथाना में आ गया था और वर्तमान में ग्राम टटोरी (टटोरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आता है। दिनांक 12.1.2015 को जारी एम.एम.डी.आर. संशोधन अध्यादेश, 2015 की धारा 8 ए(6) में किया गया संशोधन अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि स्वतः ही बढ़कर दिनांक 19.6.1968 से 31.3.2020 तक हो गयी है जिसकी सूचना पट्टेधारी को समसंख्यक पत्रांक 1124-1126 दिनांक 13.4.2015 से दी गई है एवं इसके पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 31.3.2016 को हुआ है जो नोटेरी पब्लिक से दिनांक 02.4.2016 को प्रमाणित हुआ है।

इसके अलावा भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.2.2015 से प्रधान खनिज के 31 खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित कर दिये जाने एवं इन 31 घोषित अप्रधान खनिजों में खनिज चायना क्ले सम्मिलित होने से उक्त खनन पट्टा अप्रधान खनिज के अन्तर्गत हो गया है। अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार, मान्य होंगे तथा शिड्यूल प्रथम अनुसार रॉयल्टी व शिड्यूल द्वितीय अनुसार वार्षिक स्थिरभाटक का नियमानुसार प्रतिवर्ष संदेय होगा, के पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 31.3.2016 को हुआ है जो नोटेरी पब्लिक से दिनांक 02.4.2016 को प्रमाणित हुआ है।

अन्य शर्तें मूल संविदा, हस्तान्तरण संविदा, एम.एम.डी.आर. संशोधन अध्यादेश, 2015, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.2.2015 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 व उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार मान्य होगी।

(पी.एस. मीना)
खनि अभियन्ता, सीकर
PTO



खअ/सीकर/प्र/खप-22/1966

पूरक संविदा

यह नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रुपये 100/- किंता एक का खनन पट्टा वास्ते खनिज चायना क्ले क्षेत्र 37.7632 हैक्टर निकट ग्राम टटोरी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर मैसर्स मोदी मिनरल ग्राइण्डिंग मिल्स प्रा0 लि0, नीमकाथाना जिला सीकर के पक्ष में शासन के आदेश संख्या एफ.3(1)(25) Ind/B/67 दिनांक 10.4.1967 से संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 19.6.1968 को होने से यह खनन पट्टा दिनांक 19.6.1968 से 20 वर्ष के लिए प्रभावशील हुआ। बाद में शासन के आदेश संख्या: एफ.3(1) (25)खनिज/61 दिनांक 5.10.1970 से उक्त खनन पट्टा का हस्तान्तरण मैसर्स श्री मोदी लेवीगेटेड काओलीन प्रा0 लि0, नीमकाथाना जिला सीकर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 3.11.1973 को एवं पंजीयन दिनांक 31.5.1974 को हुआ। तत्पश्चात् शासन के आदेश दिनांक 3.12.1975 से उक्त खनन पट्टे का आंशिक अध्वर्षण क्षेत्र 5.39 हैक्टर का दिनांक 8.5.1975 से स्वीकृत किया गया और इसका पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 30.11.1976 को एवं पंजीयन दिनांक 10.5.1977 को हुआ है। वर्तमान में क्षेत्र 32.37 हैक्टर प्रभावशील हैं। उक्त ग्राम टटोरी (टटेरा) तहसील नीमकाथाना में आ गया था और वर्तमान में ग्राम टटोरी (टटेरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आता है। दिनांक 12.1.2015 को जारी एम.एम.डी.आर. संशोधन अध्यादेश, 2015 की धारा 8 ए(6) में किये गये संशोधन अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि स्वतः ही बढ़कर दिनांक 19.6.1968 से 31.3.2020 तक हो गयी है जिसकी सूचना पट्टेधारी को समसंख्यक पत्रांक 1124-1126 दिनांक 13.4.2015 से दी गई है।

भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.2.2015 से प्रधान खनिज के 31 खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित कर दिये जाने एवं इन 31 घोषित अप्रधान खनिजों में उक्त स्वीकृत खनिज चायना क्ले सम्मिलित होने से उक्त खनन पट्टा अप्रधान खनिज के अन्तर्गत हो गया है। अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार, मान्य होंगे तथा शिड्यूल प्रथम अनुसार रॉयल्टी व शिड्यूल द्वितीय अनुसार वार्षिक स्थिरभाटक का नियमानुसार प्रतिवर्ष संदेय होगा, के साथ है।

अन्य शर्तें मूल संविदा, एम.एम.डी.आर. संशोधन अध्यादेश, 2015, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.2.2015 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 व उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार मान्य होगी।

आज दिनांक 31/3/2016 को मेरे द्वारा पूरक संविदा का निष्पादन किया गया।

प्रमाणित

[Signature]

हस्ताक्षर पट्टाधारी

[Signature]

खनि अभियन्ता, सीकर
खनि अभियन्ता
सीकर

[Signature]

राजस्थान के राज्यपालपुकी ओर से
अधीक्षण खनि अभियन्ता
जयपुर वृत्त, जयपुर

गवाहान:-

1. ध्यासीराम गुप्ता
2. श्री अफतखुद गुप्ता

3. श्री काशीराम

4. श्री

Kashiram Singh

S/o Shri Ramphar Singh

modi and - 2 Neem Kaethan

SIGNED BEFORE
02-4-16
NOTARY
JEFM...